पत्रांक—34 / क्रय—03—06 / 2023—(पार्ट—IV)
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

प्रोपर कन्स्ट्रक्शन वर्क्स,
पटना

पटना, दिनांक—

विषयः— वर्ष 2023 में आपके द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ में आपूरित जियो बैग विशिष्टि के अनुरूप नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : निदेशालय का पत्रांक 204 दिनांक 10.04.2024, पत्रांक 252 दिनांक 26.04.2024 एवं आपका पत्रांक शून्य दिनांक 11.03.2025,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विदित है कि वर्ष 2023 में आपके द्वारा निदेशालय से निर्गत क्रयादेश सं0—11 दिनांक 21.06.2023 के आलोक में 04 consignee प्रमंडलों यथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल—1, पड़रौना, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एंकगरसराय तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ में जियो बैग की आपूर्ति की गयी। आपके द्वारा आपूरित जियो बैग का क्रयादेश में निहित प्रावधान के आलोक में गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा द्वारा नमूनों का संग्रहण कर गुणवत्ता जाँच विभागीय जाँच प्रयोगशाला, खगौल में कराया गया। साथ ही उक्त आपूरित जियो बैग के नमूनों का संग्रहण संबंधित क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रमंडलों द्वारा नमूनों का संग्रह किये जाने के बाद गुणवत्ता जाँच विभागीय जाँच प्रयोगशाला, खगौल में कराया गया।

संबंधित क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रमंडलों द्वारा संग्रहित नमूनों का गुणवत्ता जाँचफल विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के अनुरोध पर उनक उपस्थिति में आपूरित सामग्री का पुनः गुणवत्ता जाँच विभागीय जाँच प्रयोगशाला, खगौल में कराने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया ।

विभागीय निदेश के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 252 दिनांक 26.04.2024 द्वारा गुणवत्ता जाँच हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023 में आपूरित जियो बैग का गुणवत्ता जाँच आपकी उपस्थिति में कराया गया। जाँचोपरान्त प्राप्त जाँचफल में 04 Consignee प्रमंडलों में से 01 Consignee प्रमंडल यथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ में आपूरित जियो बैग विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

उक्त के आलोक में आपके द्वारा 04 Consignee प्रमंडलों में से 01 Consignee प्रमंडल यथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ में आपूरित जियो बैग विशिष्टि के अनुरूप नहीं रहने के कारण इसे अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही निदेश है कि बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ में आपूरित जियो बैग को 15 दिनों के अन्दर वापस ले जाना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0 / —

निदेशक

पत्रांक–　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
निदेशक

पत्रांक–　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
निदेशक

पत्रांक–　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (बाढ़) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
निदेशक

पत्रांक–　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
निदेशक

पत्रांक–　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ के कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक

पत्रांक– 181　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक– 05-05-2025

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना / आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को (विभागीय/Common Integrated Website पर अपलोड हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक